भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1876
दिनांक 11 दिसंबर 2025

पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए सीएसआर निधि

1876. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के अधीन तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत धनराशि आवंटित की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय के अधीन उक्त तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए सीएसआर के अंतर्गत वर्ष-वार और जिला-वार धनराशि आवंटित की है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के विशेषकर अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों में लाभान्वित हुए व्यक्तियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने इन धनराशियों के उचित उपयोग और व्यय के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या कारोबार 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य है। तेल और गैस पीएसयू का सीएसआर व्यय देश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (आकांक्षी जिलों) सहित क्षेत्रों में किया जाता है। राज्य और जिलावार सीएसआर व्यय का विवरण, प्रमुख तेल और गैस पीएसयू द्वारा किए गए सीएसआर परियोजना/गतिविधियाँ उनकी संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.ongcindia.com, www.iocl.com,www.bharatpetroleum.com,www.hindustanpetroleum.com,www.gailonline.com, www.oil-india.com पर उपलब्ध हैं। सीएसआर परियोजनाएं उस क्षेत्र और समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं जहाँ परियोजना क्रियान्वित की जाती है। चूँकि, सीएसआर गतिविधियां व्यापक क्षेत्र को कवर करती हैं, इसलिए लाभार्थीवार विवरण कैप्चर नहीं किए जाते हैं। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए सक्षम है। सरकार सीएसआर निधि खर्च करने के मानदंडों के अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों, लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर व्यय पर दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा निर्देशित किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या गतिविधि में खर्च करने के संबंध में कंपनियों को विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

*****